न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी—श्री मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
48 / 2011	01.07.2011	18.01.2018

श्रीनारायण पुत्र भूरया, जाति खारवाल, निवासी रामसिंहपुरा, तहसील गंगापुर सिटी —सायल

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र भोरया जाति खारवाल, निवासी रामसिंहपुरा, तहसील गंगापुर सिटी
2. नर्वदा पत्नी भोरया जाति खारवाल, निवासी रामसिंहपुरा, तहसील गंगापुर सिटी
3. सीता पुत्री भोरया पत्नी रमेश जाति खारवाल निवासी किशोरपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा
4. श्रीमती द्रोपती पुत्र भोरया पत्नी नत्थूसिंह जाति खारवाल निवासी लाडपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
5. बाढा पुत्री भोरया पत्नी स्व0 कल्याणसिंह, जाति खारवाल निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती, जिला करौली
6. शांतिदेवी पत्नी धर्मसिंह जाति खारवाल, निवासी रामसिंहपुरा, तहसील गंगापुर सिटी

—गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल , एडवोकेट, सायल की ओर से

श्री भागचन्द पल्लीवाल, एडवोकेट, गैरसायलान की ओर से

निर्णय **दिनांक—18.01.2018**

यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से इस आशय का पेश किया है कि सायल के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि हाल खसरा नंबर 239 रकबा 0.10 हेक्टर, 240 रकबा 0.24 हेक्टर, 241 रकबा 0.15 हेक्टर, 242 रकबा 0.12 हेक्टर, 316 रकबा 0.86 हेक्टर, 319 रकबा 0.08 हेक्टर, 344 रकबा 1.16 हेक्टर, 345 रकबा 0.96 हेक्टर वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। सायल अपने उपरोक्त आराजीयात को अपने जीवनकाल जब से सायल को 1975 में अलोटमेंट हुई है तब से भूमि को जोतता, बोता, उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा है। सायल की उक्त भूमि का तन्हा एकमात्र खातेदार टीनेन्ट है। जिसे अपनी जमीन के उपयोग उपभोग करने का पूर्ण हक हासिल है। गैरसायलान मुठमर्द, झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है जो सायल पर अनावश्यक दवाब व भय दिखाकर गलत काम कराने की धमकी देते रहते है और राजीनामा करने के लिए धमकी देते है तथा जान से मारने तक की धमकी देते है। सायल जब अपनी उपरोक्त आराजीयात पर दिनांक 25.06.2011 को जोतने गया तो गैरसायलान सायल के खेत पर जबरदस्ती आ गये और कहने लगे कि उपरोक्त आराजीयात को जोतने नहीं देगें, हम तुम्हारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करेगें, इससे पूर्व दिनांक 24.06.2011 को भी गैरसायलान ने सायल के साथ झगड़ा करने की कोशिश की थी

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

और जमीन जोतने नहीं दी थी। सायल की उपरोक्त आराजीयात को शांतिप्रिय रूप से उपयोग उपभोग व जोतते रहने के लिए जरूरी है कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे सायल के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 239 रकबा 0.10 हेक्टर, 240 रकबा 0.24 हेक्टर, 241 रकबा 0.15 हेक्टर, 242 रकबा 0.12 हेक्टर, 316 रकबा 0.86 हेक्टर, 319 रकबा 0.08 हेक्टर, 344 रकबा 1.16 हेक्टर, 345 रकबा 0.96 हेक्टर वाके ग्राम रामसिंहपुरा के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें, ना ही भूमि के जोतने बोने आदि में व्यवधान पैदा करें ना ही किसी प्रकार की धमकी देवें ना ही किसी अन्य से दिलावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया।

गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर गैरसायल संख्या 1, 3, 4, ,5 के पिता व गैरसायल संख्या 2 के पति भौरया का पूर्वजों के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। सायल का अलोटमेंट संबंधी कथन एवं यह कथन कि वह वादग्रस्त भूमि का तन्हा एकमात्र खातेदार कब्जेदार हो एवं गैरसायलान का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध न हो गलत है, स्वीकार नहीं है। गैरसायलान ने अपने जवाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि प्रकरण में वास्तविक स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 239 रकबा 0.10 हेक्टर, 240 रकबा 0.24 हेक्टर, 241 रकबा 0.15 हेक्टर, 242 रकबा 0.12 हेक्टर, 316 रकबा 0.86 हेक्टर, 319 रकबा 0.08 हेक्टर, 344 रकबा 1.16 हेक्टर, 345 रकबा 0.96 हेक्टर वाके ग्राम रामसिंहपुरा सायल एवं गैरासयलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। इस भूमि में सायल का 1/2 हिस्सा व गैरसायलान का भी 1/2 हिस्सा है। उपरोक्त भूमि के साबिक खसरा नंबर 141 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा, 142 रकबा 8 विस्वा, 156 रकबा 7 बीघा 15 विस्वा, खसरा नंबर 152/169 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा था। पहिले यह भूमि गैरसायल नंबर 1, 3, 4, 5 के पिता तथा गैरसायल नंबर 2 के पति व गैरसायल नंबर 6 के स्वसुर भौरया तथा सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसमें भौरया का 1/2 तथा वादी का 1/2 हिस्सा था। उक्त वादग्रस्त आराजीयात के बावत वादी श्रीनारायण तथा गैरसायल संख्या 1, 3, 4, 5 के पिता भोरया के मध्य धारा 145 सी.आर.पी.सी. के मुकदमें उनवानी श्रीनारायण बनाम भौरया वगै0 मुकदमा नंबर 11/93 चला था। जिसमें दिनांक 07.06.94 को पक्षकारों में राजीनामा इस आशय का न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया कि उपरोक्त भूमि सायल एवं गैरसायल अर्थात इस हस्तगत दावे के वादी तथा गैरसायल नंबर 1, 3, 4, 5 के पिता भोरया की आधी आधी रहेगी। रिसीवर के पास जमा राशि भी दोनों पक्षों की आधी आधी रहेगी, जो राजीनामे के बाद दोनों पक्षों ने

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी(स०मा०)

आधी आधी प्राप्त कर ली। कब्जे के बारे में भी इसी प्रकार आधी आधी भूमि होने की घोषणा की जावे। इस राजीनामे के अनुसार उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 17.07.96 को निर्णय पारित कर उक्त भूमि को रिसीवर से बागुजास्त कर दिया और इस तरह से कब्जा उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर सायल व गैसायल संख्या 1, 3, 4, 5 के पिता भौरया का आधा आधा रहा। यही नहीं दिनांक 06.08.95 को पंचो व गवाहों के समक्ष सायल श्रीनारायण ने उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी श्रीनारायण व भौरया व उसके पुत्र धर्मसिंह की आधी आधी जमीन स्वीकार करते हुए इकरार किया कि उक्त भूमि गैरखातेदारी में है उसे खातेदारी में आते ही इस भूमि को श्रीनारायण गैरसायल धर्मसिंह के पक्ष में आधे हिस्से के विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवा देगा तथा रजिस्ट्री का खर्चा गैरसायल धर्मसिंह वहन करेगा। उक्त संबंध में इकरारनामा 20/– रूपये के स्टाम्प पर बकलमी गोपालसिंह तहरीर व तकमील पंचों के समक्ष किया गया जिस पर सायल श्रीनारायण हाथ के अंगूठे की निशानी व गैरसायल धर्मसिंह ने हस्ताक्षर कर दिये तथा तत्कालीन सरपंच रामेश्वर प्रसाद व अन्य गवाहों ने भी उस पर हस्ताक्षर निशानी की। दिनांक 07.06.94 को हुए राजीनामें के बाद पक्षकारों में कोई विवाद नहीं रहा। गैरसायलान ग्रामीण परिवेश के गरीब कृषक है तथा कानून के जानकार नहीं है इसलिए उक्त राजीनामे के अनुसार उक्त आराजीयात में 1/2 भूमि का खातेदार घोषित करवाने व राजस्व रिकार्ड में संशोधन कराने की कार्यवाही गैरसायलान व गैरसायल नंबर 1, 3, 4, 5 के पिता भोरया ने नहीं की। इस कारण राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान का नाम उक्त भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट के रूप में अंकित नहीं हो सका तथा राजस्व रिकार्ड में अकेले सायल का नाम ही रहा। जबकि वादग्रस्त आराजीयात में आधे हिस्से पर वादी का व आधे हिस्से पर गैरसायलान का पूर्व की भॉति चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड की स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए एवं भूमि के बढते हुए दामों को देखकर सायल की नियत खराब हो गई है और अब उसने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदेई कलॉ से उक्त संपूर्ण भूमि पर गलत रूप से रहन रखकर लोन ले लिया है। गैरसायल संख्या 1 को जब इस तथ्य की जानकारी हुई तो सायल के समक्ष उसने दिनांक 20.04.2011 को एतराज किया व भूमि का विधिवत मीट्स एवं बाउण्ड्स से बंटवारा करने को कहा तो सायल नाराज हो गया व उसने धमकी दी कि वह गैरसायलान को उनके 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करेगा तथा उक्त भूमि से गैरसायलान को बेदखल कर उसे दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगा। सायल मुकदमेबाज व झगडालू व्यक्ति है इसलिए उक्त परिस्थिति में गैरसायलान ने दिनांक 05.05.2011 को इस प्रकरण में सायल के विरूद्ध घोषणा खातेदारी, विभाजन, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा मुकदमा नंबर 42/11 व साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 41/11 इसी न्यायालय में पेश कर दिया जो विचाराधीन है। सायल ने यह हस्तगत दावा दिनांक 29.06.11 को न्यायायल में पेश किया है जबकि गैरसायलान द्वारा

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

इसी न्यायालय में इन्हीं वादग्रस्त आराजीयात बावत दावा दिनांक 05.05.2011 को ही पेश कर दिया था ऐसी दशा में सायल द्वारा पेश यह दावा धारा 10 सी0पी0सी0 के अनुसार चलने योग्य नहीं है। गैरसायलान उपरोक्त आराजीयात पर सन् 1994 के पूर्व से ही अपने बुजुर्गों के समय से ही 1/2 हिस्से पर लगातार काश्त करते चले आ रहे है। इस तरह विकल्प में गैरसायलान का वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर 12 साल से भी अधिक समय से मुखाल्फिाना रूप से खुलेआम शांतिपूर्ण तरीके से आज तक निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अतः विकल्प में एडवर्स पजेशन के आधार पर भी गैरसायलान उक्त वादग्रस्त आराजीयात 1/2 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से सायल का कब्जा पहिले भी नहीं था, दावे के दिन भी नहीं था तथा वर्तमान में भी नहीं है ऐसी दशा में सायल का स्थाई निषेधाज्ञा का दावा खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात के वेस्ट डेमेज या हस्तान्तरण की कोई संभावना नहीं है। सायल ने धारा 145 सी.आर.पी.सी. के प्रकरण में उपजिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी के न्यायालय में दिनांक 07.06.1994 को सायल व गैरसायल संख्या 1, 3, 4, 5 के पिता भोरया के मध्य हुए तस्दीकशुदा राजीनामें तथा दिनांक 17.07.96 के निर्णय जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छिपाया है ऐसी दशा में भी सायल किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा सायल का दावा व प्रार्थना पत्र टी0आई खारिज होने योग्य है।

वकील सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2053–56, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2053–56, 2057–60, 2061–64, नकल इस्तगासा, नकलें रसीद लगान, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2065–68, नकल जमाबंदी संवत् 2065–68 की छायाप्रतियॉ पेश की है।

वकील गैरसायल ने अपने जवाब के समर्थन में नकल इकरारनामा दिनांक 06.08.95, नकल आदेश राजस्व अपील अधिकारी, कोटा दिनांक 07.01.83, नकल आदेश निगरानी संख्या 05/83 उनवानी भोरया बनाम श्रीनारायण वगै0, न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर दिनांक 09.01.91, आदेश न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश दिनांक 16.07.98, नकल प्रतिलिपि आवेदन पत्र, नकल जमाबंदी, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल आदेश दिनांक 17.07.96 न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी की छायाप्रतियॉ पेश की है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वकील सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि विवादित भूमि सन् 1975 में अलोटमेंट हुई थी, जिसकी खातेदारी सायल के नाम दर्ज है एवं कब्जा काश्त भी सायल का है, आज तक सायल तन्हा खातेदार कब्जेदार है। गैरसायलान दवाब, धमकी से सायल को बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। सायल द्वारा भूमि को आधी–आधी करने का समझौता स्वयं की मर्जी से नहीं था बल्कि दबाव व भय के कारण

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

किया गया था। धारा 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही रेवेन्यू कोर्ट में लागू नहीं होती है। गिरदावरी से सायल का कब्जा साबित है। राजस्व लगान भी सायल ही देता आ रहा है, जिनकी रसीदें भी पेश की गई है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए कब्जा की बजाय रिकार्ड पर ध्यान देना चाहिए। वकील सायल ने अनुरोध किया कि सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वकील सायल ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1960 पेज 155 की नजीर पेश की।

वकील गैरसायलान ने अपने जवाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि साबिक खसरा नंबर पर श्रीनारायण बनाम भोरया वगै0 दावा 1981 में चला था। उसमें टी0आई0 बहस से पूर्व श्रीनारायण ने पुलिस इमदाद से काश्त करवाने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया था। तहसीलदार द्वारा जॉच में श्रीनारायण की बजाय भौरया का कब्जा पाया गया था। फिर भी टी0आई0 सायल के पक्ष में जारी हुई थी। भूमि का खातेदार कुंजकंवर था, सिलिंग से बचने हेतु श्रीनारायण के नाम करवा दिया था। जागीर में शिकमी काश्तकार भौरया था। ग्रामीणों के द्वारा भी विवादित भूमि को आधा–आधा दोनों के मध्य भूमि बांटने बावत समझौता करवा दिया था। सायल के नाम भूमि की गैरखातेदारी थी इसलिए सायल ने कहा कि खातेदारी होते ही गैरसायलान के नाम भूमि करा देने की सहमति हुई थी। 145 सी.आर. पी.सी. के निष्कर्ष राजस्व प्रकरण पर भी चस्पा होते है एवं उसमें किया गया राजीनामा सहमति का है। यदि सायल द्वारा राजीनामा स्वयं की मर्जी से नहीं बल्कि दबाव व भय के कारण किया गया था तो उसे निरस्त करवाने के लिए सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। माननीय ए.डी.जे. कोर्ट ने रिसीवरी की राशि में दोनों का आधा–आधा हिस्सा निर्धारित किया था। माननीय न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते समय कब्जा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। खसरा गिरवादरी टाईटल का प्रमाण नहीं है। वकील गैरसायलान ने अपनी बहस के समर्थन में 2009 डी.एन.जे. पेज 1069, 2004 डी.एन.जे. पेज 263, 2012 (1)डी.एन.जे. पेज 405, 2014(4) सी.सी.सी. पेज 624, 2010 डी.एन.जे. पेज 202, 2015(1) डी.एन.जे.पेज 227, 2011 (4) सी.सी.सी. पेज 241 की नजीरें पेश की एवं सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी के अनुसार भूमि खसरा नंबर 239 रकबा 0.10 हेक्टर, 240 रकबा 0.24 हेक्टर, 241 रकबा 0.15 हेक्टर, 242 रकबा 0.12 हेक्टर, 316 रकबा 0.86 हेक्टर, 319 रकबा 0.08 हेक्टर, 344 रकबा 1.16 हेक्टर, 345 रकबा 0.96 हेक्टर वाके ग्राम रामसिंहपुरा श्रीनारायण पुत्र भूरया जाति खारवाल सा0देह गैरखातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। गिरदावरियों में भी इसी प्रकार का अंकन है। लगान की रसीदें सायल के नाम से जारी की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सायल विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

पत्रावली में प्रस्तुत इकरारनामा के अनुसार सायल श्रीनारायण एवं अन्य पक्षकारों में यह समझौता हुआ था कि विवादित भूमि में से आधी भूमि श्रीनारायण एवं आधी भूमि धर्मसिंह पुत्र भोरया की रहेगी एवं रिसीवरी राशि में भी इसी अनुसार हिस्से रहेगें। भूमि की खातेदारी सायल के नाम होते ही तुरन्त रजिस्ट्री करवा देगा। इस राजीनामें के आधार पर ही न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में विचाराधीन मु0नं0 11/93 अन्तर्गत धारा 145, 146 (1) जा0फो0 का प्रकरण दिनांक 17.07.96 को निर्णित किया गया एवं माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, गंगापुर सिटी द्वारा भी दिनांक–16.07.98 को रिसीवरी की जमाशुदा राशि को पक्षकारान आधी आधी प्राप्त करने के बतौर राजीनामा अधिकारी रहेगें संबंधी आदेश पारित किया गया। वकील गैरसायलान द्वारा आशाराम पुत्र कांजी, उदयभान पुत्र भौरया, रामफूल पुत्र राधाकिशन, केदार पुत्र पन्ना के भूमि पर उभयपक्षकारान के कब्जा होने एवं उनके मध्य पूर्व में राजीनामा होने संबंधी शपथ पत्र पेश किये गये है। वकील सायल द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी. 1990 में उद्धृत किया गया है कि "Temporary injunction not granted by A.C. on ground that opposite party placed in possession in proccedings u/s 145, Cr-Revenue Courts not to be influenced by decisions of Crimiual Courts" जबकि वकील गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत नजीर 2009 डी. एन.जे. (SC) पेज 1069 पर उद्धृत किया गया है कि "Admission made by a party in a previous criminal case was admissible in subsequent civil suit." इसी प्रकार 2010 डी. एन.जे. (SC) पेज 202 पर उद्धृत किया गया है कि "Documents signed by party- There is a presumption that party has read and understood the document properly." इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, जवाब गैरसायलान, उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का गहनता से अवलोकन करने एवं वकील उभयपक्ष द्वारा सुनाई गई बहस पर मनन करने से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि की खातेदारी सायल श्रीनारायण के नाम दर्ज है एवं न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 145, 146 (1) जा0फो0 में उभयपक्षकारान द्वारा एक राजीनामा पेश किया गया था जिसमें यह अंकित किया गया है कि विवादित भूमि सायल एवं गैरसायल नंबर 1 (भोरया) की आधी आधी भूमि रहेगी, रिसीवर के पास जमा राशि भी सायल एवं गैरसायल नंबर 1 (भोरया) की आधी आधी रहेगी। इसी प्रकार माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, गंगापुर सिटी द्वारा भी निगरानी में दिनांक 16.07.98 को रिसीवरी की जमाशुदा राशि को पक्षकारान को आधी– आधी प्राप्त करने बतौर राजीनामा अधिकारी माना है। सायल का संपूर्ण भूमि पर कब्जा भी प्रथमदृष्टया प्रमाणित नहीं हो पाया है। जिस इकरारनामा के तहत सायल द्वारा गैरसायलान का विवादित भूमि पर आधा कब्जा देने का तथ्य अंकित किया गया है उसके आधार पर गैरसायलान का विवादित भूमि पर कब्जा वैधानिक है अथवा नहीं, विवादित भूमि के संबंध में किये गये इकरारनामे/ राजीनामा

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

से गैरसायलान के खातेदारी अधिकारी उद्भूत होते है या नहीं, यह तो दावा में विस्तृत साक्ष्य एवं विस्तृत विवेचन के उपरांत ही तय किया जाना संभव होगा किन्तु विवादित भूमि में सायल एवं गैरसायलान के निहित हित प्रभावित नहीं हो एवं पक्षकारों में वाद की बहुलता न हो इसलिए हमारी विनम्र राय में विवादित भूमि के मौके एवं रिकार्ड की ताफैसला दावा यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ताफैसला दावा भूमि खसरा नंबर 239 रकबा 0.10 हेक्टर, 240 रकबा 0.24 हेक्टर, 241 रकबा 0.15 हेक्टर, 242 रकबा 0.12 हेक्टर, 316 रकबा 0.86 हेक्टर, 319 रकबा 0.08 हेक्टर, 344 रकबा 1.16 हेक्टर, 345 रकबा 0.96 हेक्टर वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील वजीरपुर के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

18.01.18

वकील उभयपक्ष उप०। बहस प्रा० पत्र T.I वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थित तार्फैसला दावा बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)